राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 124/2016

संध्या शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पाली मण्डल, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेशराज कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 12.01.2016 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पूर्व में वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी पदोन्नति को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में नियमित डीपीसी में अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर डीपीसी के दौरान वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी थी। अपीलार्थी ने एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना की थी, जिस पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण अजमेर मण्डल से जोधपुर मण्डल में उसके निवेदन पर किया गया और अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.07.2005 के द्वारा किया गया था। उसके पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई पदोन्नति निरस्त कर दी गयी, जो गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जोधपुर के आदेश दिनांकः 8–7–2005 द्वारा अजमेर मण्डल से जोधपुर मण्डल में किया गया, जिसके कारण अपीलार्थिया का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित किये जाने के कारण आलौच्य आदेश दिनांक 12–01–2016 द्वारा नियमानुसार अपीलार्थिया का पूर्व में किया गया चयन निरस्त किया गया। अपीलार्थिया को व्याख्याता रसायन के पद पर डीपीसी चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के

प्रति पूर्व मण्डल अजमेर मण्डल के संदर्भ में निर्धारित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापको की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची अवधि 1997–98 में वरिष्ठता क्रमांक 280 के आधार पर चयनित किया गया था। अपीलार्थिया द्वारा स्वयं की प्रार्थना पर अन्तरमण्डल स्थानान्तरण अजमेर मण्डल से तत्कालीन जोधपुर मण्डल में करवाने पर दिनांक 18–07–2005 को जोधपुर मण्डल के सिरोही जिले में कार्य ग्रहण कर लिया गया, लेकिन पूर्व मण्डल में निर्धारित वरिष्ठता राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 29(10) के नीचे राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ–2(6)डीओपी/ऐ–II/84 दिनांक 6–2–1987 के द्वारा निम्नानुसार जोडे गये स्पष्टीकरण के आधार पर विलोपित योग्य बनती है।

> A person working on the post of Senior Teachers/Teachers or equivalent posts when transferred form one district/range to another district/ range on his Own request shall be placed just below the junior most person in seniority list of the new district/range from the date of taking over the charge in the new district/ range and will cease to have any right of his seniority in the district/range from which he has been transferred.

अतः नियमानुसार आदेश दिनांकः 2–11–2015 के द्वारा अपीलार्थी की पूर्व मण्डल अजमेर के आधार पर द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर महिला वर्ग की वर्ष 1997–98 हेतु जारी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 280 पर निर्धारित वरिष्ठता विलोपित कर दी गई। उक्त वरिष्ठता विलोपित किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थिया उक्त वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता रसायन की चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति चयन की पात्र नहीं रहने के कारण इनका किया गया चयन निरस्त कर दिया गया, जो नियमानुसार है।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता रसायन के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध जो पदोन्नति दी गयी थी, उसे निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसका कारण प्रत्यर्थी विभाग ने यह बताया है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं की प्रार्थना पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण अजमेर मण्डल से तत्कालीन जोधपुर मण्डल करवाने पर दिनांक 18.07.2005 को जोधपुर मण्डल के सिरोही जिले में कार्य ग्रहण कर लिया गया। ऐसे में अन्तर मण्डल स्थानान्तरण के कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित हुई है। अपीलार्थी को पूर्व में अजमेर मण्डल के आधार पर दी गयी पदोन्नति को निरस्त किया गया है। हम यह

पाते है कि पूर्व में दी गयी वरिष्ठता अजमेर मण्डल की वरिष्ठता के आधार पर दी गयी थी, जिसको निरस्त किये जाने का उचित कारण है, क्योंकि अपीलार्थी ने अपनी ईच्छा से स्वयं का स्थानान्तरण करवाया था। ऐसे में हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

4. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)